

प्रारूप-1
(भाग पौच)

परित्यक्त महिला होने का प्रमाण पत्र

(यह प्रमाण पत्र आवेदक के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होने की स्थिति में ग्राम पंचायत के संबंधित वार्ड के पंच तथा शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के संबंधित क्षेत्र में पार्षद द्वारा प्रदाय किया जावेगा))

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि (आवेदक का नाम)
..... (पिता का नाम) निवासी (वर्तमान पूर्ण पता
सहित) पति द्वारा इन्हें दिनांक
से परित्याग किया गया है । श्रीमती अब परित्यक्ता के
रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रही है ।

सरपंच / सचिव
ग्राम पंचायत / नगरी क्षेत्र हेतु नामांकित अधिकारी,

स्थान

दिनांक